पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 05 जून, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 दुग्ध नीति–2018 के प्रख्यापन का निर्णय

- "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018" प्रख्यापित किये जाने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश का सन्तुलित आर्थिक विकास करना, दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार कर अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मेक इन यू0पी0 को प्रोत्साहन, नये रोजगार सृजन, अनुसन्धान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण प्रोत्साहन तथा समस्त स्टेक होल्डरस् (हितधारक) को अधिकाधिक लाभ दिलाना है।
- प्रदेश में दुग्ध के क्षेत्र में प्रथम बार "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018" तैयार की गयी है।
- "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018" अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
- प्रस्तावित निर्णय से प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ेगा, जिससे कि राज्य की आय में वृद्धि होगी। दुग्ध उद्योगों की स्थापना से रोजगार सृजन होगा, दूध की उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे कि प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बढ़ेगी। मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में विकास होगा। संगठित क्षेत्रों की भागीदारी एवं दूध की दुग्ध प्रसंस्करण में वृद्धि होगी। दुग्ध उत्पादक के दुग्ध के क्षरण में कमी होगी तथा उनके दुग्ध का अनुकूलतम एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा, जिससे उनके आर्थिक हितों की रक्षा होगी।
- प्रस्तावित निर्णय से नये रोजगार सृजित होंगे, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध होंगे, जो कुपोषण नियन्त्रण में सहायक होगा। दुग्ध के मूल्य संवर्द्धन करते हुए पोषक एवं उच्च गुणवत्ता के दुग्ध से बने उत्पाद उपलब्ध होंगे। किसानों/दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का प्रतिस्पर्धात्मक दूध मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
- दुग्ध नीति के अन्तर्गत पूँजी निवेश अनुदान, ब्याज उपादन, गुणवत्ता मानकीकरण, प्रोत्साहन प्राविधान, बाजार विकास एवं ब्रान्ड प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान तथा बैंकेबुल प्रोजेक्ट तैयार करने सम्बन्धी सहायता तथा मानव विकास के प्राविधान किये गये है। इसमें सम्मिलित वित्तीय उपाशय नीति स्वीकृत होने के पश्चात् इस नीति के अन्तर्गत तैयार की गयी योजनाओं अथवा प्रदेश में हुए निवेश के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी।
- प्रस्तावित निर्णय से "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018" के अन्तर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख नये रोजगार सृजित होंगे।

विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपद में
एक एण्टी पावर थेफ्ट पुलिस थाना स्थापित करने का निर्णय

- विद्युत चोरी को रोकने के प्रयोजन से सतर्कता इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत वर्तमान में 33 प्रवर्तन दल कार्यरत हैं और उ0प्र0 शासन द्वारा 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दल की स्वीकृति दी जा चुकी है। जनपदीय पुलिस की अत्यन्त व्यस्तता एवं भारतीय विद्युत अधिनियम–2003 के तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण विद्युत चोरी सम्बन्धी अपराधों की विवेचना गुणवत्तापरक तरीके से नहीं हो पाने से अपेक्षित व न्यायोचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु 5 डिस्कामों के अन्तर्गत प्रदेश के कुल–75 जिलों में एक–एक एन्टी पावर थेफ्ट पुलिस थाना स्थापित किये जा रहे हैं।
- एण्टी पावर थेफ्ट पुलिस थानों की स्थापना हो जाने पर अभियोग पंजीकृत कराने में, जो व्यवहारिक कठिनाई आती हैं, दूर होगी और अभियोग तत्परता से पंजीकृत हो सकेंगे। पंजीकृत अपराधों की विवेचना में पैरवी प्रभावी ढंग से हो सकेगी। विद्युत चोरी की रोकथाम होगी, शमन शुल्क के रूप में राजस्व में वृद्धि होगी, लाइन लास में कमी होगी जिससे ''पावर फार आल'' के लक्ष्य को समय से प्राप्त किया जा सकेगा।

उ0प्र0 पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा
(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 अनुमोदित

1. उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 के नियम-12 (वैवाहिक प्रास्थिति) में संशोधन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की सहमति से आम जानकारी के लिये प्रकाशित की गयी अधिसूचना दिनांक 22.02.2017 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 के नियम-14 (रिक्तियों का अवधारण) के अनुसार आरक्षित (क्षैतिज आरक्षण) की जाने वाली रिक्तियों की संख्या महिला एवं पुरूष के लिए पृथक-पृथक अवधारित कर अधिसूचित किये जाने के प्रावधान को उत्तर प्रदेश में क्षैतिज आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन की नीति के अनुसार ओवर आल (Overall) पद्धति के अनुसार महिला एवं पुरूष की भर्तियां एक साथ अधिसूचित किये जाने हेतु ''उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव है।

नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, फैजाबाद में उच्च विशिष्टियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में

- नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी , फैजाबाद में प्रदर्शन हेतु वीथिका के निर्माण में शामिल उच्च विशिष्टियों के कार्यो के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
- इस कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कार्यदायी संस्था नामित की गयी है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्टगैलरी, फैजाबाद में प्रदर्शन हेतु वीथिका के अन्दर फाल्स सीलिंग तथा वाल पैनलिंग के कार्य हेतु रू0 29.57 लाख के आगणन का परीक्षण कर मूल्यांकित लागत रू0 29.57 लाख की गयी।
- नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, फैजाबाद में प्रदर्शन हेतु वीथिका के अन्दर फाल्स सीलिंग तथा वाल पैनलिंग के प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा चिन्हित उच्च विशिष्ट श्रेणी के कार्यो पर नियमानुसार सक्षम उच्च स्तर (मा0 मंत्रिपरिषद) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना को लागू करने का फैसला

1 **योजना का उद्देश्य–**

हथकरघा बुनकरों में प्रतिस्पर्धा पैदा कर उन्हे उच्च किस्म के हथकरघा वस्त्र बनाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। हथकरघा बुनकरो को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। वर्तमान में बढती हुयी प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी विकास के अनुसार कपडो के विविधीकरण एवं बदलाव के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करने हेतु यह योजना कियान्वित की जा रही है।

2 **योजना की लाभार्थियों को देय धनराशि**

सर्वप्रथम परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ शिविर लगाकर पहले इस योजना का प्रचार–प्रसार पम्पलेट एवं पोस्टर वितरित कर करेंगे तदुपरान्त एक निश्चित अवधि के अन्दर सैम्पल जमा कराने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रचार–प्रसार करेंगे। परिक्षेत्रीय अधिकारी चयन से पूर्व स्क्रीनिंग करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेगें कि प्राप्त सैम्पल हथकरघा पर ही उत्पादित है। इसके उपरान्त परिक्षेत्रीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परिक्षेत्र स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति की बैठक कराकर प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का चयन कराया जायेगा।

परिक्षेत्र स्तरीय हथकरघा पुरस्कार की देय धनराशि :–

परिक्षेत्रीय स्तर पर चयनित बुनकरों को पुरस्कृत करने हेतु नकद धनराशि के लिये निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :–

पुरस्कार श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि	परिक्षेत्रो में चयनित किये गये बुनकरो की संख्या	परिक्षेत्र स्तरीय पुरस्कार की कुल धनराशि
प्रथम	रू0 20,000/–	बुनकर सं0–13	रू0 2,60,000/–
द्वितीय	रू0 15,000/–	बुनकर सं0–13	रू0 1,95,000/–
तृतीय	रू. 10,000/–	बुनकर सं0–13	रू0 1,30,000/–
कुल योग–		**बुनकर सं0–39**	**रू0 5,85,000/–**

परिक्षेत्र स्तर पर चयनित बुनकरो को पुरस्कार की नकद धनराशि के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम् तथा प्रमाण–पत्र प्रदान कर बुनकरो को सम्मानित किया जायेगा।

राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार

परिक्षेत्र स्तरीय चयनित/पुरस्कृत सैम्पल राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशालय भेजा जायेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जायेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु निदेशालय को प्राप्त सैम्पुल को चार श्रेणी में रखा जायेगा।

श्रेणी–1– साडी, ब्रोकेड, ड्रेस मेटीरियल
श्रेणी–2– सूती दरी, ऊलेन दरी, आसनी एवं दरेट
श्रेणी–3– वेडशीट, वेड कवर, होम फर्नीशिंग
श्रेणी–4– स्टोल, स्कार्फ, गमछा व अन्य

राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार में चयनित बुनकरों को सम्मानित करने हेतु नकद धनराशि की व्यवस्था निम्नानुसार होगी :–

पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कृत धनराशि	चयनित किये गये बुनकरों की संख्या	पुरस्कृत कुल धनराशि
प्रथम	रू0 1,00,000/–	बुनकर संख्या–04	रू0 4,00,000/–
द्वितीय	रू0 50,000/–	बुनकर संख्या–04	रू0 2,00,000/–
तृतीय	रू. 25,000/–	बुनकर संख्या–04	रू0 1,00,000/–
कुल योग–		बुनकर संख्या–12	रू0 7,00,000/–

राज्य स्तरीय पुरस्कार की नकद धनराशि के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम् तथा प्रमाण–पत्र प्रदान कर बुनकरो को सम्मानित किया जायेगा।

1–परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित बुनकरों की संख्या= 39+12 = 51

2–परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार की कुल धनराशि=

रू0 5,85,000.00 + 7,00,000.00 = 12,85,000.00

3 **योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रकिया–**

परिक्षेत्रीय अधिकारियों से स्क्रीनिंग के उपरान्त परिक्षेत्र स्तर की कमेटी द्वारा चयन कर संस्तुत किए गये आवेदन पत्रों को राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। राज्य स्तर के पुरस्कार चयन में सम्मिलित करने हेतु बुनकर/डिजाइनर/मास्टर वीवर्स अपने सैम्पल सीधे निदेशालय को भेज सकते है। डिजाइनर व बुनकर दोनो संयुक्त रूप से अपने सैम्पल निदेशालय भेज सकते हैं । संयुक्त रूप मे भेजे गये सैम्पुल के चयनित होने की दशा में पुरस्कार की नकद राशि दोनो में आधी–आधी देय होगी। आवेदन पत्र विभागीय (etanabanaup.in) पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

4 **पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन**

राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति के स्तर पर चयन प्रकिया पूर्ण होने के बाद परिक्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं के लिए प्रमुख सचिव हथकरघा, उत्तर प्रदेश शासन, एवं आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा के संयुक्त हस्ताक्षर से अलग–अलग प्रमाण पत्र निर्गत कराया जायेगा। शासन स्तर से उपयुक्त तिथि निर्धारित कराकर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन कराकर परिक्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं को एक साथ प्रमाण–पत्र, शील्ड, अंगवस्त्रम् एवं नकद धनराशि प्रदान कर पुरस्कृत किया जायेगा।

5 **योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था**

1–परिक्षेत्र स्तरीय पुरस्कार की नगद धनराशि –	रू0 5,85,000.00
2–राज्य स्तरीय पुरस्कार की नगद धनराशि	रू0 7,00,000.00
3–योजना के प्रचार–प्रसार हेतु धनराशि	रू0 2,00,000.00
4–परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति द्वारा चयनित बुनकरों को शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण–पत्र एवं आयोजन पर व्यय	रू0 5,00,000.00
कुल योग –	**रू0 19,85,000.00**

जनपद मथुरा में बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नन्दगांव, राधाकुण्ड तथा बल्देव मद्य निषेध क्षेत्र घोषित

जनपद मथुरा का क्षेत्र वृन्दावन भगवान श्रीकृष्ण एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम की क्रीड़ास्थली एवं बरसाना श्री राधारानी की जन्मस्थली एवं क्रीड़ास्थली होने के कारण उक्त तीर्थस्थलों की पौराणिक एवं धार्मिक महत्ता को देखते हुये जनपद मथुरा के पूर्ववर्ती नगर पालिका परिसर वृन्दावन एवं नगर पंचायत बरसाना के अधिसूचित क्षेत्र को धर्मार्थ कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा पवित्र तीर्थस्थल घोषित किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत गोवर्धन, राधाकुण्ड, नन्दगांव, गोकुल एवं बल्देव के क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम तथा श्री राधारानी की क्रीड़ास्थली होने के कारण उक्त तीर्थस्थलों की पौराणिक एवं धार्मिक महत्ता के दृष्टिगत नगर पंचायत गोवर्धन, राधाकुण्ड, नन्दगांव, गोकुल एवं बल्देव के अधिसूचित क्षेत्रों को धर्मार्थ कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 मार्च,2018 द्वारा पवित्र तीर्थस्थल घोषित किया गया है।

2— वृन्दावन नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व से ही मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। अस्तु वृन्दावन नगरपालिका क्षेत्र में आबकारी की कोई दुकान व्यवस्थित नहीं है। बरसाना नगर पंचायत क्षेत्र अक्टूबर,2017 में तीर्थ स्थल घोषित किया गया था। अतः बरसाना स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा व बीयर की सभी दुकानें नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर व्यवस्थित कराई गई हैं।

3— जनपद मथुरा के नगर पंचायत–बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नन्दगांव, राधाकुण्ड एवं बल्देव की पौराणिक एवं धार्मिक महत्ता के दृष्टिगत उक्त तीर्थस्थलों को मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त तीर्थस्थलों में स्थित 32 आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन अन्य क्षेत्रों में कराकर उनमें निहित आबकारी राजस्व रू0 11,10,60,188/— की क्षति को न्यूनतम् किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

उ0प्र0 शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली,1974 के अन्तर्गत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है। शीरे के भण्डारण, बिक्री एवं संचरण में पारदर्शिता लाने हेतु आधुनिक तकनीकी का समावेश करते हुये उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली,1974 में संशोधन किया गया है।

2— इस संशोधन के द्वारा शीरे की संग्रहण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है। शीरा निधि का उपयोग कर संग्रहण क्षमता में वृद्धि किये जाने तथा केवल आपात स्थिति में आयाताकर आच्छादित पिट की अनुमति प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

3— चीनी के कारखाने में उत्पादित शीरे के का समस्त विवरण जैसे—सम्भरण, वितरण, प्राप्ति, प्रयोज्य कैप्टिव उपभोग, बचे शीरे की मात्रा सहित उत्पादित शीरे के नमूनों के परीक्षण परिणामों तथा किसी शिकायत की सूचना आदि को आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल (upexciseonline.in) पर अपलोड करने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त शीरे की लोडिंग पर निगरानी रखने हेतु चीनी मिलों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था एवं डिजिटल रिकार्ड को भी आबकारी विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का प्राविधान किया गया है।

4— शीरे के परिवहन हेतु ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) युक्त लारियों को अनिवार्य किया गया है एवं 45 दिवस की समय सीमा के अन्तर्गत आवंटित शीरे का उठान न किये जाने पर प्रतिदिन रू0 5,000/— का दण्ड का प्राविधान तथा विनिर्दिष्ट मार्ग से शीरे के परेषण में विचलन अथवा ई—ट्रांजिट परमिट के धोखाधड़ीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग किये जाने पर भी दण्ड का प्राविधान किया गया है।

5— प्रदेश से अन्य राज्यों के लिये शीरा निर्यात/परिवहन की अनुज्ञा हेतु शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने का प्राविधान किया गया है। उत्पादित शीरे की बिक्री केवल वास्तविक क्रेता को किये जाने तथा इकाई की जी0एस0टी0 संख्या सहित प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करते हुये आबकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्राविधान। इसके अतिरिक्त शीरे के मूल्य का भुगतान ई—पेमेन्ट के माध्यम से किये जाने तथा प्रशासनिक शुल्क को ई—चालान के माध्यम से जमा करने की व्यवस्था की गई है।

देश के अन्दर अन्य राज्यों तथा देश के बाहर निर्यात किए जाने हेतु मदिरा की बोतलों के लेबलों की संख्या सीमित किए जाने के सम्बन्ध में

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा की बोतलों पर चिपकाये जाने वाले लेबुलों पर ''केवल (राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश का नाम) में बिक्री के लिये'' मुद्रित किये जाने की व्यवस्था है।

2— अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिदृश्य में उद्योगों को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के व्यवसायियों को उत्पादन/निर्यात करने हेतु व्यवसायिक प्रक्रिया को सरलीकृत करने (Ease of doing Business) के उददेश्य से यदि लेबुल पर देश अथवा प्रदेश का नाम न लिखकर मात्र ओवरसीज अथवा अन्तरप्रान्तीय एक्सपोर्ट का अंकन किया जायेगा, तब अंकित किये जाने वाले लेबुलों की संख्या में कमी आयेगी, जिससे विदेश व्यापार में सुगमता होगी।

3— किसी आसवनी/यवासवनी द्वारा अपनी कितनी ब्राण्डों को किन देशों अथवा प्रदेशों को निर्यात किया जायेगा यह वर्ष की शुरूआत मे निर्धारित किया जाना सम्भव नही हैं। राजस्व में कमी कितनी होगी इसका स्पष्ट आंकलन भी सम्भव नहीं हैं परन्तु लेबुल अनुमोदन फीस की वृद्वि करके राजस्व में होने वाली उक्त कमी को न्यून किया जा सकता हैं।

4— वर्ष 2017—18 मे देश/प्रदेश के बाहर निर्यात की गयी विदेशी मदिरा के कुल 318 ब्राण्डों के सापेक्ष 1218 अनुमोदित लेबुल को देखते हुए लगभग 04 लेबुल प्रति ब्राण्ड की संख्या होती हैं। अतः लेबुलों की संख्या कम करने से होने वाली क्षति को न्यून करने के दृष्टिगत आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के अनुसार देश/प्रदेश के बाहर भेजी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0एम0एफ0एल0) के लेबुल की वर्तमान फीस रू0 60,000/— को लगभग चार गुना करते हुए रू0 2,50,000/—, बीयर के लेबुल की फीस रू0 35,000/— से बढ़ाकर रू0 1,50,000/— तथा एल0ए0बी0 के लेबुल की फीस रू0 5,000/— से बढ़ाकर रू0 20,000/— किया गया है।

उ0प्र0 पशु प्रजनन नीति–2018 अनुमोदित

- उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दुष्टिकोण से देश का सबसे बडा प्रदेश है। प्रदेश में जलवायु अनुकूलित/क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के दृष्टिगत तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ स्वदेशी प्रजातियों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धधन पर विशेष ध्यान देते हुये उ0प्र0 पशु प्रजनन नीति,2002 विकसित एवं प्रख्यापित की गई थी। अग्रिम वर्षों में यह पाया गया कि एच0एफ0 संकर प्रजाति में दुग्ध उत्पादन तो अधिक है, परन्तु दुग्ध में कम वसा एवं एस0एन0एफ0 होने के कारण पशुपालकों को उचित मूल्य की प्राप्ति नहीं हो सकी तथा विभिन्न पशु रोगों के प्रति कम प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण इनके रखरखाव पर भी अतिरिक्त व्यय होने से पशुपालकों को यथोचित लाभ नहीं हो सका।
- वर्तमान पुनरीक्षित/संशोधित पशु प्रजनन नीति, 2018 में विदेशी प्रजाति के रूप में जर्सी तथा जर्सी क्रास तथा पूर्व में प्रदेश में चिन्हित स्वदेशी गोवंश प्रजातियों यथा साहीवाल, हरियाणा, गंगातीरी एवं थारपारकर के अतिरिक्त गिर गोवंश प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अतिहिमीकृत वीर्य की उपलब्धता हेतु उ0प्र0 पशुधन प्रजनन नीति, 2018 प्रस्तावित की गई है।
- पशु प्रजनन नीति, 2002 में पशुपालन विभाग में प्रचलित विभिन्न योजनाओं को पशु प्रजनन नीति, 2018 से आच्छादित किया जाना है। अतः राजकोष पर कोई वित्तीय व्ययभार उपाशयित नहीं होगा।
- प्रस्तावित कार्यवाही तत्काल प्रभाव में लागू होगी और अग्रेत्तर अनवरत जारी रहेगी।
- प्रस्तावित पशु प्रजनन नीति के समुचित अनुपालन से उपलब्ध पशुधन का पीढ़ी दर पीढी सतत् उन्नयन होगा, जिससे प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि होगी। पशुधन उत्पादकता में वृद्धि से प्रदेश के पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ–साथ जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
- प्रदेश के कृषक/पशुपालक/जनमानस परोक्ष/अपरोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

सहकारी चीनी मिल्स संघ की अनूपशहर आसवनी तथा सहकारी चीनी मिल कायमगंज एवं घोसी की आसवनी इकाइयों में बायोकम्पोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदित

- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की आसवनी इकाई अनूपशहर एवं सहकारी चीनी मिलें कायमगंज तथा घोसी की आसवनी इकाईयों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम (जेड.एल.डी.) की स्थापना के अभाव में इन आसवनियों में उत्पादन कार्य वर्ष 2017 से बन्द है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशनुसार उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की आसवनी इकाई अनूपशहर एवं सहकारी चीनी मिलें कायमगंज तथा घोसी की आसवनी इकाईयों में इन्सीनरेशन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्र के स्थान पर बायोकम्पोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्र स्थापित किया जाना है।

लखनऊः दिनांक जून, 2018

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की आसवनी इकाई अनूपशहर एवं सहकारी चीनी मिलें कायमगंज तथा घोसी की आसवनी इकाईयों में इन्सीनरेशन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्र के स्थान पर बायोकम्पोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्र स्थापित करने के लिए एडवान्स प्रोसेस टेक्नालॉजी का उपयोग करके स्पेन्टवाश की मात्रा 12–15 कि. ली. प्रति कि.ली. आर.एस. से घटाकर 09 कि.ली. प्रति कि.ली. आर.एस. किये जाने हेतु फर्मन्टेशन प्रकिया में सुधार कर स्पेन्टवाश की मात्रा को कम किया जायेगा। कच्चे स्पेन्टवाश को मल्टीइफेक्ट इवैपरेटर द्वारा सान्द्रित कर 30 डिग्री ब्रिक्स पर लाया जायेगा, जिससे कच्चे स्पेन्टवाश की मात्रा कम हो जायेगी, जिसे प्रेसमड में मिश्रित कर बायोकम्पोस्ट बनायी जायेगी, जो किसानों की खेती के लिए हितकारी होगी। उक्त परियोजना की स्थापना से जल के दोहन में कमी आएगी।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की आसवनी इकाई अनूपशहर (बुलन्दशहर) एवं सहकारी चीनी मिलें कायमगंज (फरूर्खाबाद) तथा घोसी (मऊ) की आसवनी इकाईयों में शून्य प्रदूषण प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देशानुसार जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों की स्थापना करने रू0 7929.52 लाख की लागत आयेगी।

उक्त आसवनी इकाईयों यथा–अनूपशहर, कायमगंज तथा घोसी के लिए बायोकम्पोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्र की स्थापना हेतु वित्त व्यवस्था उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा स्वयं के स्रोतों से अथवा ऋण लेकर की जाएगी। इसमें राज्य सरकार द्वारा कोई वित्त पोषण नहीं किया जाएगा।

उ0प्र0 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति को मंजूरी

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.04. 2016 द्वारा प्रख्यापित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमवाली–2016 के आधार पर उसी के अनुरूप राज्यों को अपने प्रदेश के भीतर कूड़े–कचरे के प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति प्रख्यापित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित उपर्युक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली–2016 के कियान्वयन के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–199/2014 अलमित्रा एच0 पटेल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के प्रकरण में भी लगातार अनुश्रण किया जा रहा है।

उपर्युक्त निर्देश के क्रम में तैयार की गयी उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शहरों व कस्बों में स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु स्वच्छता सम्बन्धी उच्च मानकों की प्राप्ति है।

उ0प्र0 राज्य में जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक व्यापक चुनौती के रूप में उभरा है। समय के साथ–साथ न केवल अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है, अपितु विभिन्न प्रकार के नए–नए उत्पादों, उपकरणों और संयंत्रों के आने से अपशिष्ट के अभिलक्षणों में भी व्यापक परिवर्तन हुए है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय निकाय, अपशिष्ट उत्पादन के न्यूनीकरण, स्रोत पर पृथक्करण एवं पुनरुपयोग के विकल्प को बढ़ावा देंगे। ये न केवल अपशिष्ट के प्रबंधन, शोधन व निस्तारण व्यय को कम करने में सहायक होगा, अपितु पर्यावरण पर पड़ने वाले विभिन्न दुष्प्रभावों यथा लीचिंग, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होगा ।

पृथक्करण, संग्रहण, और पुनर्प्रसंकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त पुनरूपयोगी पदार्थों द्वारा नए उत्पादों का निर्माण अगला प्रमुख विकल्प होगा। इस कार्य में लगे Informal sector को निकाय द्वारा पूरी प्रक्रिया से जोड़ा जायेगा।

अपशिष्ट के जैविक अंश को कम्पोस्ट में परिवर्तित करते हुए इसका उपयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु किया जायेगा। यह कार्य विकेन्द्रीत रूप से वार्डवार/जोनवार किया जायेगा।

जहाँ अपशिष्ट से पदार्थ की पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है, वहाँ ऊष्मा, विद्युत अथवा ईंधन उत्पादन के रूप में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। जैव–मिथेनेशन, प्लास्टिक से तेल, अपशिष्ट से पैलेटों, अपशिष्ट दहन, अवशिष्ट व्यत्पन्न ईंधन (RDF-Refused Derived Fuel) का उत्पादन, तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट से पृथक किए गये सूखे अपशिष्ट के सह–प्रसंस्करण को "अपशिष्ट से उर्जा" प्रौद्योगिकी के तहत सामान्य रूप से अपनाया जायेगा ।

शेष बचे हुए अपशिष्ट को जिसमें मुख्यतः निष्क्रिय अनुपयोगी पदार्थ शामिल होते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप निर्मित किए गये सैनिटरी लैंडफिलों में निस्तारित किया जाना प्रस्ताावित है। लक्ष्य यह निर्धारित है कि लैंडफिल स्थलों तक न्यूनतम अपशिष्ट पहुंचे (अधिकतम 10%)।

उ0प्र0 फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018 के प्रख्यापन का प्रस्ताव अनुमोदित

राज्य, निवेश के अनुकूल सुधारवादी नीति दृष्टिकोण के साथ एक शीर्ष औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यह नीति राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 की दृष्टि और उद्देश्यों को आगे ले जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धी फार्मास्युटिकल उद्योग के लिये पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने हेतु आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत **उ0प्र0 फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018** को प्रख्यापित किया जा रहा है।

नीति का उद्देश्य फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और व्यवसायीकरण की दक्षताओं का निर्माण करना है, साथ ही गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये प्रमुख संस्थानों के ज्ञान एवं कुशल जनशक्ति का उपयोग करके सतत् रूप से क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का लाभ उठाना है।

सर्वोत्तम अवस्थापना सुविधाओं एवं तकनीक से युक्त विशिष्ट फार्मास्युटिकल पार्को की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

अत्याधुनिक औषधि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा राज्य के विकास में योगदान करने के लिये विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना।

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बौद्धिक संपदा (आईपी) को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहित करना तथा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिक धनराशि का योगदान देना।

अनुसंधान एवं विकास तथा आयुष स्वास्थ्य सेवा (हेल्थकेयर) उत्पादों के प्रोत्साहन के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना।

यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जाएगी और पॉच वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी।

किसी भी समय यदि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे नीति में किसी प्रकार से संशोधन या नीति के अधिक्रमण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संशोधन या अधिक्रमण को अनुमोदित करने के लिये केवल मा0 मंत्रिपरिषद ही अधिकृत होगा।

यदि इस नीति में कोई भी संशोधन किया जाता है तो भी राज्य सरकार द्वारा इकाई को पूर्व स्वीकृत प्रोत्साहनों का कोई पैकेज वापस नहीं लिया जायेगा और ऐसी इकाई पूर्व स्वीकृत लाभ की हकदार बनी रहेगी।

जनपद वाराणसी की तहसील पिण्डरा के 10 ग्राम तहसील सदर में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित

जनपद वाराणसी की तहसील पिण्डरा के ग्राम पंचायत दशनीपुर, नकछेदपुर, चौका, बेलवरिया एवं सुतबलपुर में सम्मिलित ग्राम–एकला, नकछेदपुर, रैचन्दपुर, बेलवरिया, सोनकडीह, काजीचक, चौका, किशनापुर, दशनीपुर, सुतबलपुर की दूरी तहसील पिण्डरा मुख्यालय से 25 कि0मी0 से अधिक होने तथा तहसील मुख्यालय सदर से 8 कि0मी0 से कम होने के कारण उक्त ग्राम पंचायतों के 10 ग्रामों को तहसील पिण्डरा से अलग कर तहसील सदर में सम्मिलित किये जाने के जिलाधिकारी वाराणसी के प्रस्ताव पर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा संस्तुति की गयी है। उक्त परिसीमन के उपरान्त तहसील पिण्डरा में कुल 432 ग्राम के स्थान पर 422 ग्राम तथा तहसील सदर में कुल राजस्व ग्राम 559 के स्थान पर 569 हो जायेंगे।

उक्त परिसीमन के प्रस्ताव पर अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न तहसीलों के परिसीमन हेतु गठित आपत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 19.04.2018 में जनहित व प्रशासकीय दृष्टि से अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।उक्त के संबंध में वित्त विभाग, न्याय विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

मगहर, जनपद संत कबीर नगर में कबीर दास अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित

- जनपद संत कबीर नगर में संत कबीर दास जी की समाधि स्थल मगहर में कबीर दास अकादमी की स्थापना की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- इस कार्य हेतु ' उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ' कार्यदायी संस्था नामित की गयी है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा संत कबीर दास अकादमी के निर्माण हेतु आगणन धनराशि रू0 2493.75 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा योजना की लागत धनराशि रू0 2359.00 लाख मूल्यांकित की गयी।
- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा योजना का मूल्यांकन करते हुए यह परामर्श दिया गया कि आगणन में प्रस्तावित योजना में मेटल फाल्स सीलिंग, वाल पैनलिंग, वुड ब्लाक फ्लोरिंग, सिन्थेटिक कारपेट, एनोटोन सबटेक्स टेक्सर स्केयर टाइल्स (Anutone SubtexTexure Square Edge Tiles), म्यूरल का प्राविधान किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के प्रयोग पर नियमानुसार सक्षम उच्च स्तर (मा0 मंत्रिपरिषद) का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

घाटमपुर तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु टैरिफ बेस्ड कॉम्पटीटिव बिडिंग के आधार पर पी0पी0पी0 मोड से पारेषण तन्त्र के निर्माण के सम्बन्ध में

- प्रदेश में स्थापित होने वाली घाटमपुर तापीय परियोजना (क्षमता 3X660 मेगावॉट) से ऊर्जा निकासी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक पारेषण तंत्र का टैरिफ बेस्ड कॉम्प्टेटिव बिडिंग के आधार पर, पी0पी0पी0 मोड से, भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों के अनुसार, निर्माण करवाया जाना है।

- मै0 नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लि0 (उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं मैसर्स निवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि0 चेन्नई का संयुक्त उपक्रम) द्वारा घाटमपुर, जनपद कानपुर देहात में 3×660 मेगावॉट क्षमता की तापीय परियोजना (घाटमपुर तापीय परियोजना) से ऊर्जा निकासी के लिये आवश्यक पारेषण तंत्र के टैरिफ बेस्ड कॉम्प्टेटिव बिडिंग माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स अडानी ट्रान्समिशन लिमिटेड को सफल निविदादाता/ विकासकर्ता के रूप में चयन को अनुमोदन प्रदान किया गया।

- ई–रिवर्स ऑक्शन के उपरान्त प्राप्त लेवेलाइज़्ड टैरिफ (रू0 1960.46 मिलियन) (रू0 196.046 करोड़) उ0प्र0पा0ट्रा0 का0लि0 के कॉस्ट डाटा के आधर पर **CERC Regulations** के अनुसार आंगणित टैरिफ से 36.17 प्रतिशत एवं सी0टी0यू0 के कॉस्ट डाटा के आधर पर **CERC Regulations** के अनुसार आंगणित टैरिफ से 36.52 प्रतिशत कम है।

- ऊर्जा निकासी हेतु इस पारेषण तंत्र के निर्माण से घाटमपुर तापीय परियोजना से उत्पादित ऊर्जा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं आगरा क्षेत्र तक पहुँचाई जा सकेगी जोकि उक्त क्षेत्रों के भविष्यगत भार की पूर्ति में अत्यन्त सहायक होगा।

नवीन बिड प्रक्रिया के अंतर्गत 'सिंगल स्टेज टू इनवलप' (आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0) जारी कर पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे के आठों पैकेजों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन किया जाएगा

- 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' के आठों पैकेजों के इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु प्रचलित बिड प्रक्रिया को निरस्त कर नवीन सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।
- 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' की आंकलित सिविल कार्य निर्माण लागत लगभग रु0 23,349.37 करोड है।
- 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' के आठों पैकेजों के इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन के लिये निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु नवीन बिड प्रक्रिया के अंतर्गत 'सिंगल स्टेज टू इनवलप' (आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0) जारी कर आठों पैकेजों हेतु प्राप्त बिडों के आधार पर कान्ट्रेक्टर्स का चयन किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया में न्यूनतम 45 दिन का समय लगने की संभावना है।

जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए ग्लोबल बिडिंग के माध्यम से विकासकर्ता का चयन किया जाएगा

जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2017 को कतिपय शर्तों के साथ साईट क्लीयरेन्स एवं दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा 'इन प्रिन्सिपल अप्रूवल' प्रदान किया गया। एयरपोर्ट की स्थापना हेतु पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) के लिए दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (TOR) के लिए पर्यावरण मंत्रालय में आवेदन किया गया तथा दिनांक 29 मई, 2018 को पर्यावरण मंत्रालय के Expert Appraisal Committee (EAC) के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है जिसके स्वीकृत होने की प्रक्रिया प्रशस्त है।

भूमि क्रय/ अर्जन हेतु लगभग रू0 4000 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसमें राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा बजट के माध्यम से रू0 1500 करोड़, नॉएडा अथॉरिटी द्वारा रू0 1500 करोड़, ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी द्वारा रू0 500 करोड़ और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा रू0 500 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। दिनांक 29 मई, 2018 को नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विकास हेतु एक Joint Venture Company incorporate करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार, नॉएडा, ग्रेटर नॉएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के मध्य एक एमओयू (MoU) हस्ताक्षरित किया गया।

जनपद गौतमबुद्धनगर में PPP मोड पर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए Global Bidding के माध्यम से विकास कर्ता (concessionaire) का चयन किया जाएगा। एयरपोर्ट की स्थापना हेतु सभी औपचारिकताएं शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

PN-CM-Cabinet Decision-05 June, 2018